Linking Laws

TANSUKH SIR

The Bridge Between Law & Success

AIBE PRACTICE MCQs (CPC 1908)

All India Bar Examination (AIBE – 22)

Practice Today Excel Tomorrow

- Chapter-wise MCQs
- As per Latest CPC 1908
- Exam Oriented & Concept Based
- With Explanations & Key Provisions

Your Success Our Mission

Prepare | Practice | Perform

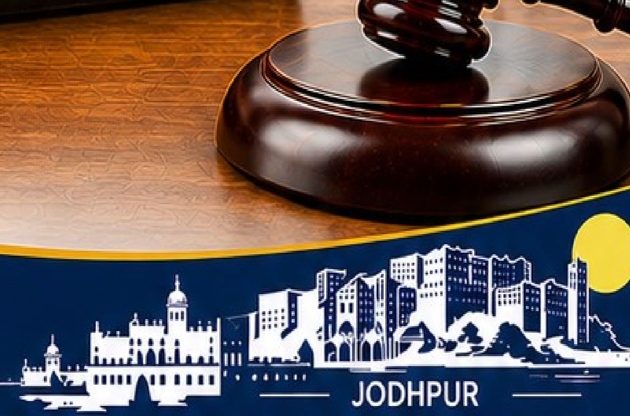

AIBE XXII

1. **सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा RES JUDICATA (प्राङ्न्याय) की संकल्पना से संबंधित है?**
(a) धारा 10
(b) धारा 11
(c) धारा 12
(d) धारा 13

2. **निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ?**
विषयवस्तु सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएँ
(a) वाद का रोक दिया जाना 9
(b) पूर्व न्याय 11
(c) वादों का संस्थित किया जाना 13
(d) आगे वाद लाने से वर्जित 15

3. **एक लैटिन मैक्सिम "Ut pendent Nihil Innovatur" अपना स्थान किस रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में पाती है?**
(a) पूर्वन्याय
(b) इजसडेन जेनेरिस
(c) लिस पेन्डेन्स
(d) रेस इप्सा लोक्यूटर

4. **रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है :**
(a) केवल वादों पर
(b) केवल मध्यस्थता की कार्यवाही पर
(c) केवल निष्पादन कार्यवाही पर
(d) वादों और निष्पादन कार्यवाही, दोनों पर

5. **निम्नलिखित में कौन सा लैटिन शब्द 'रेस' का सही अर्थ है ?**
(a) विषय या वस्तु
(b) विवाद्यक
(c) दावा
(d) उपचार

6. **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान**
(a) आज्ञापक हैं।
(b) निर्देशात्मक हैं।
(c) विवेकाधीन हैं।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. **'सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा** 80 **के अन्तर्गत सूचना जब वह रेलवे से सम्बन्धित हो, निम्न में से किस पर तामील की जायेगी** ?
(a) रेल मंत्री को
(b) रेल मंत्रालय के सचिव को
(c) सम्बन्धित रेल के महाप्रबन्धक को
(d) भारत के प्रधान मंत्री को

8. **केंद्र सरकार के खिलाफ वाद में, प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी है?**
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमंत्री
(c) संबंधित विभाग के मंत्री
(d) भारत संघ

9. **सरकार के विरुध वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है, जब तक अवसान न हो गया हो-**
(a) लिखित सूचना प्रदत्त करने के एक माह पश्चात
(b) लिखित सूचना प्रदत्त करने के तीन माह के पश्चात
(c) लिखित सूचना प्रदत्त करने के दो माह के पश्चात
(d) लिखित सूचना प्रदत्त करने के छ: माह के पश्चात

10. **भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई डिक्री तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक वह निम्नलिखित अवधि के लिए असंतुष्ट रहती है:-**
(a) एक महीना
(b) दो महीने
(c) तीन महीने
(d) छह महीने

11. **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौनसी अनुपूरक कार्यवाही नहीं है?**
(a) रिसीवर की नियुक्ति।
(b) अस्थाई व्यादेश अनुदत्त करना।
(c) निर्णय पूर्व की गिरफ्तारी तथा कुर्की।
(d) स्थाई व्यादेश अनुदत्त करना।

12. **सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपील न्यायालयों की शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?**
(a) यह मामले को अन्तिम रूप से अवधारण कर सकता है।
(b) यह मामले का प्रतिप्रेषण कर सकता है।
(c) यह अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ले सकता है ।
(d) यह विवाद्यक विरचित कर उन्हें विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है।

13. **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 प्रावधान करती है**
(a) पुनरीक्षण
(b) निर्देश
(c) पुनर्विलोकन
(d) उच्चतम न्यायालय को अपील

14. **एक केवियट दाखिल करने की तिथि से प्रवृत्त रहता है:**
(a) 60 दिनों के लिये
(b) 90 दिनों के लिये
(c) 120 दिनों के लिये
(d) न्यायालय के अनुज्ञानुसार

15. **किसी एक मामले में जहाँ कि आदेश 1 के नियम 1 की शर्तें मौजूद नहीं हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति एक मुकदमे मे वादी के रूप में शामिल हो जाते हैं, जो उनका परिणाम होगा**
(a) वादियों का संयोजन
(b) वादियों का कुसंयोजन
(c) प्रतिवादियों का संयोजन
(d) संयुक्त प्रतिज्ञाकर्त्ता

16. **सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है**
(a) Order 1, Rule 1
(b) Order 2, Rule 2

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

(c) Order 1, Rule 9
(d) Order 1, Rule 8

17. सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जहाँ एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है :
(a) कुसंयोजन का
(b) असंयोजन का
(c) उपरोक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

18. प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध है, अन्तर्गत :
(a) आदेश V नियम 20 सी पी सी
(b) आदेश V नियम 19A सी पी सी
(c) आदेश V नियम 19 सी पी सी
(d) आदेश V नियम 21 सी पी सी

19. सीपीसी का आदेश V निम्नलिखित से संबंधित है:
(a) **साक्षीयों** को समन
(b) प्रतिवादी को सम्मन
(c) दोनों (ए) और (बी)
(d) सामान्य तौर पर सम्मन

20. आदेश VI के अनुसार, अभिवचन का तात्पर्य है ?
(a) शिकायत
(b) लिखित कथन
(c) शिकायत और लिखित कथन दोनो
(d) इनमें से कोई नहीं

21. निम्नलिखित में से कौन - सा / से कथन सही है / हैं?
(1) अभिवचन के तात्विक तथ्यों का, न कि साक्ष्य का कथन होगा।
(2) अभिवचनों का संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 16 में प्रावधानित है ।
सही उत्तर चुनिए
(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

22. वादपत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा
(a) यदि वह गलत न्यायालय में दाखिल किया गया है
(b) यदि उचित पक्षकारों को नहीं जोड़ा गया है
(c) यदि वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

23. प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील की तारीख के ----------- दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान (ऑर्डर VIII) पेश कर सकता है ।
(a) 15
(b) 30
(c) 60
(d) 45

24. A, B और C संयुक्त हिंदू परिवार के सह-दायभागी हैं । वह संयुक्त रूप से Y के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं । Y इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। C को समन्स दिया जाता है परंतु A और B को नहीं । इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति (डिक्री) पारित की जाती है। A और B एक- पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जायेगी
(a) Only C
(b) Only A & B
(c) A, B and C
(d) None of these

25. सिविल प्रक्रिया संहिता में एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है:
(a) आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत
(b) आदेश 9 नियम 10 के अन्तर्गत
(c) आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत
(d) आदेश नियम 11 के अन्तर्गत

26. CPC के आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है: -
(a) पक्षकारों के मध्य वाद का निपटारा
(b) साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए
(c) स्वीकृति सुरक्षित करने के लिए
(d) इनमें से कोई नहीं

27. सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से किसके अन्तर्गत मामले के निपटारे पर या उससे पहले मूल दस्तावेज पेश किये जाने चाहिये ?
(a) आदेश 13 नियम 1
(b) आदेश 4 नियम 13
(c) आदेश 6 नियम 10
(d) आदेश 9 नियम 22

28. दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाये जाने से सम्बंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान (आदेश) है ?
(a) आदेश 13 सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) आदेश 17 सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) आदेश 24 सिविल प्रक्रिया संहिता

29. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवाद्यक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवाद्यकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है?
(a) आदेश XIV नियम 1
(b) आदेश XIV नियम 5
(c) आदेश XIV नियम 6
(d) धारा 151

30. एक सिविल वाद में विवाद्यक बनाये जाते हैं -
(a) पक्षों के द्वारा
(b) पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा
(c) पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा
(d) न्यायालय के द्वारा

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

31. किस आधार पर स्थगन नहीं दिया जायेगा?
(a) जहाँ परिस्थितियां पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं।
(b) अधिवक्ता बीमार है और पक्ष अन्य अधिवक्ता को समय पर नियुक्त नहीं कर पाया।
(c) पक्ष का अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त है।
(d) दोनों जहाँ परिस्थितियां पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं और अधिवक्ता बीमार है और पक्ष अन्य अधिवक्ता को समय पर नियुक्त नहीं कर पाया।

32. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है लेकिन मामले का निर्णय तत्काल उद्घोषित नहीं किया जा सका और भविष्य की तिथि निर्धारित की गई, ऐसे में निर्णय हेतु सामान्यतया ऐसी तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी जो
(a) मामले की सुनवाई पूर्ण होने की तिथि से 60 दिन से अधिक हो।
(b) मामले की सुनवाई पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन से अधिक हो।
(c) मामले की सुनवाई पूर्ण होने की तिथि से 90 दिन से अधिक हो।
(d) न्यायालय द्वारा कोई भी तिथि निर्धारित की जा सकती है।

33. मामले की सुनवाई के उपरान्त दीवानी न्यायालय को फैसला सुनाना आवश्यक है
(a) उसी दिन
(b) 60 दिन के भीतर किसी भी दिन अगर असाधारण परिस्थितियाँ हों
(c) 30 दिन के भीतर किसी भी दिन
(d) उपर्युक्त सभी

34. X, Y और Z ₹10,000 के लिए A द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति (डिक्री) के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। Y, A के विरुद्ध अकेले ₹ 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प A के लिए सही है?
(a) A आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति- आज्ञप्ति के रूप में मानेगा।
(b) A आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति - आज्ञप्ति के रूप में नहीं मान सकता।
(c) A आदेश 22 नियम 18 अंतर्गत उसके संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति-आज्ञप्ति के रूप में नहीं मान सकता।
(d) इनमें से कोई नहीं

35. जब न्यायालय किसी कानून या वैधानिक प्रभाव वाले किसी नियम से अनभिज्ञ रहते हुए निर्णय देती है, तो ऐसे निर्णय को कहा जाता है:
(a) इन पर्सोनम
(b) पर इन्क्यूरियम
(c) सब साइलेंशियो
(d) इन रेम

36. महिला के विरुद्ध पारित धन के संदाय की डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है;
(a) यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही द्वारा
(b) उसकी सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा
(c) एक प्रापक की नियुक्ति द्वारा
(d) उसकी गिरफ्तारी और कारागार में निरोध द्वारा

37. निम्नलिखित में से कौन सा आदेश "पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन" से संबंधित है?
(a) Order 20
(b) Order 21
(c) Order 22
(d) Order 23

38. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत एक परिस्थिति में वाद के पक्षकार द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति की संविदा उस पक्षकार की मृत्यु के पश्चात भी जारी मानी जाएगी। वह कौन सी परिस्थिति है?
(a) जब तक प्लीडर न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु की सूचना दे।
(b) जब तक विधिक प्रतिनिधि नया अधिवक्ता नियुक्त करें।
(c) जब तक विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।
(d) जब तक विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाए।

39. समझौता लेखबद्ध करने के उपरान्त वाद में पारित किसी डिक्री के विरुद्ध अपील, इस आधार पर कि समझौता लेखबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था, किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकती है:
(a) धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) आदेश XXIII सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) आदेश XLIII नियम 1-क सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के वाद के समझौते से संबंधित प्रावधान निहित है।
(a) आदेश XXIII के नियम 1
(b) आदेश XXIII के नियम 2
(c) आदेश XXIII के नियम 3
(d) आदेश XXII के नियम 3

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

All India Bar Examination XXII Practice Set

उत्तर कुंजी

Q. No.	*Ans.*	Q. No.	*Ans.*	Q. No.	*Ans.*	Q. No.	*Ans.*
1.	[b]	11.	[d]	21.	[a]	31.	[c]
2.	[b]	12.	[c]	22.	[c]	32.	[b]
3.	[c]	13.	[a]	23.	[b]	33.	[d]
4.	[d]	14.	[b]	24.	[c]	34.	[a]
5.	[a]	15.	[b]	25.	[c]	35.	[b]
6.	[a]	16.	[d]	26.	[a]	36.	[d]
7.	[c]	17.	[b]	27.	[a]	37.	[c]
8.	[d]	18.	[a]	28.	[a]	38.	[a]
9.	[c]	19.	[b]	29.	[b]	39.	[c]
10.	[c]	20.	[c]	30.	[d]	40.	[c]

AIBE 22
Guidance Program
(Live + Recorded)
This is a smart, Bare Acts–based program designed with a single-minded goal
Crack the AIBE (All India Bar Examination)
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Enrol Now or visit
linkinglaws.classx.co.in

Scan this QR
Course Brochure
Live Classes
Recorded Classes
6 Months Validity
Study Material Access
Full Mock Test
Practice Test Series
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

1. **Ans. [B]**
लिंकिंग प्रावधान- धारा 11 L/w धारा 9, 10, 12 CPC, 115 IEA, 300 CRPC, अनुच्छेद 20(2) COI।
स्पष्टीकरण - धारा 11 पूर्व न्याय से संबंधित है। Res-judicata का मतलब पहले से ही अधिनिर्णित या अधिनिर्णित या तय किया गया मामला है। यह न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। Res Judicata का सिद्धांत 3 सिद्धांतों पर आधारित है-
1. किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार तंग नहीं करना चाहिए।
2. यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।
3. एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

2. **Ans [b]**
स्पष्टीकरण:- निम्नलिखित वर्गों का सही मिलान है-
1. वादों पर रोक – धारा 10
2. वाद संस्थित करना – धारा 26।
3. आगे के वाद का वर्जन – धारा 12।

3. **Ans [c]**
लिंकिंग प्रावधान:- धारा 52 – लंबित वाद ।
स्पष्टीकरण:- सिद्धांत एक लैटिन सूक्ति "यूट पेंडेंट निहिल इनोवेटूर" से लिया गया है जिसका अर्थ है कि मुकदमेबाजी के दौरान कुछ भी नहीं बदला जाना चाहिए।करेंगे जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ दायर की गई हैं।

4. **Ans [d]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 47 – बाद के वादों पर रोक।
2. धारा 12 – आगे के वाद का वर्जन।
स्पष्टीकरण:- धारा 11, स्पष्टीकरण VII- रेस-जुडिकाटा (प्राङ् न्याय) के प्रावधान एक डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर लागू होते हैं। रेस ज्युडिकेटा (प्राङ् न्याय) पहले से ही न्यायनिर्णित या ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें निर्णय पहले से ही हो। रेस-जुडिकाटा (प्राङ् न्याय), वाद दायर करने पर रोक लगाता है ।

5. **Ans [a]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 10 – रेस सब-ज्यूडिस (निर्णय के तहत)
2. धारा 11 – रेस ज्युडिकेटा (प्राङ् न्याय)
स्पष्टीकरण:- 'रेस' लैटिन में "बात" या "पदार्थ" के लिए है। सामान्य विधि में, यह किसी व्यक्ति के विपरीत किसी वस्तु, रुचि या स्थिति का उल्लेख कर सकता है। उदाहरण के लिए, रेस इप्सा लोक्यूटर (बात खुद के लिए बोलती है), रेस ज्युडिकेटा, या रेस जूरिसडीक्शन आदि ।

6. **Ans. [a]**
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 79-82/आदेश 27 -** सरकार के विरुद्ध वाद।
2. **अनुच्छेद 300 -** सरकार के विरुद्ध वाद व कार्यवाहियां।
3. **अनुच्छेद 361 -** राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध सिविल अनुतोष के संबंध में 2 माह का नोटिस। (बिंदु 2-3, भारतीय संविधान)
स्पष्टीकरण -धारा 80 - के अनुसार सरकार के विरुद्ध वाद में 2 माह का नोटिस का प्रावधान अज्ञापक है।
धारा 80 - सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जायेगा, जब तक दो माह की पूर्व सूचना नहीं दी गयी हो।

AIBE BARE ACTS COMBO SET©
Comprehensive Study Package
Study Materials (Major & Minor Laws inc. other Study Material
You can carry these Bare Act in Exam Hall for AIBE
Diglot Edition
English Edition
Link Provision | Section Switching Table
illustration Table | Bracket Presentation
Amendment Analysis | Key Words of Section
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR Order Now or visit www.LinkingLaws.com
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

7. Ans. [c]

स्पष्टीकरण - धारा 80 - सूचना, जहाँ वाद -

क) केंद्रीय सरकार के विरुद्ध - उस सरकार के सचिव को।

ख) जहाँ वाद रेल से संबंधित - इस रेल के प्रधान प्रबन्धक को।

ग) जम्मू कश्मीर राज्य सरकार - मुख्य सचिव या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को।

घ) राज्य सरकार के विरुद्ध - वहा उस सरकार के सचिव को या उस जिले के कलेक्टर को, सूचना दी जायेगी।

8. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 79 L/w 80-82, आदेश 27 सीपीसी।

स्पष्टीकरण- धारा 79 सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की अवधारणा को परिभाषित करती है।

1) जब भी वाद केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जाता है, तो भारत संघ द्वारा यथास्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

2) जब भी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है, तो राज्य सरकार वादी या प्रतिवादी के रूप में कार्य करेगी।

9. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 79-82/आदेश 27 -** सरकार के विरुद्ध वाद।
2. **अनुच्छेद 300 -** सरकार के विरुद्ध सिविल वाद (भारतीय संविधान, 1949) ।
3. **अनुच्छेद 361 -** राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध सिविल अनुतोष के संबंध में 2 माह का नोटिस (भारतीय संविधान, 1949)।

स्पष्टीकरण - धारा 80 - सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जायेगा, जब तक दो माह की पूर्व सूचना नहीं दी गयी हो।

10. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 79-82/ आदेश 27**- केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विरुद्ध वाद
2. **धारा 39-74 -** डिक्री के निष्पादन संबंधी प्रावधान।
3. **आदेश 21 -** डिक्री के निष्पादन में प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण - धारा 82 - सरकार के विरुद्ध डिक्री, डिक्री की तारीख से 3 माह तक तुष्ट नहीं होने पर, डिक्री का निष्पादन किया जायेगा।

11. Ans. (d)

स्पष्टीकरण- धारा 94:- न्याय के उद्येश्य विफल किया जाना निवारित करने के लिए।

कुल 5 प्रकार की कार्यवाही दी गयी है जो अनुपूरक कार्यवाही के रुप में की जा सकती है:-

1. निर्णय पूर्व गिरफ्तारी 2. निर्णय पूर्व कुर्की

3. अस्थायी व्यादेश 4. रिसीवर की नियुक्ति

5. अंतरिम आदेश

जबकि स्थायी व्यादेश धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत दिया जाता है ।

- वादपत्र द्वारा
- गुण दोष पर बहस सुनने के बाद
- जबकि अस्थायी व्यादेश आवेदन द्वारा किसी लंबित वाद में आदेश 39 नियम 1 के अनुसार दिया जाता है।

यदि धारा 94 की कार्यवाही अपर्याप्त आधार पर थी तो धारा 95 के अनुसार प्रतिवादी को हुए व्यय या क्षति के लिए 50 हजार तक का प्रतिकर प्रतिवादी को दिलाया जा सकेगा ।

12. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 107 L/w **धारा 108, आदेश 41 सीपीसी।**

स्पष्टीकरण- धारा 107 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। इस धारा के अनुसार**,** अपीलीय न्यायालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

(ए) मामले को अन्तिम रूप से अवधारण करने के लिए**;**

(बी) एक मामले को प्रतिप्रेषण करने के लिए**;**

(सी) विवाद्यक विरचित कर उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करने के लिए**;**

(डी) अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए या इसे लेने की आवश्यकता है।

13. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:- सिविल प्रक्रिया संहिता,1908

निर्देश- धारा 113/ आदेश 46 (उच्च न्यायलय)

रिव्यू- धारा 114/ आदेश 47 (वही न्यायलय जिसने निर्णय दिया)

पुनरीक्षण - धारा 115 (उच्च न्यायलय)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-

निर्देश-धारा 395-396 (उच्च न्यायलय)

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

अपील- धारा 372-394 (अपर न्यायलय)
पुनरीक्षण- धारा 397-405(सेशन न्यायलय/ उच्च न्यायलय)
रिव्यू - आपराधिक मामले में रिव्यू नहीं होता।
स्पष्टीकरण - धारा 115 - उच्च न्यायलय किसी अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख को मंगवा सकेगा, जिनका उसके अधीनस्थ न्यायलय ने विनिश्चय किया है और जिसकी अपील नही होती है।

14. Ans [b]
लिंकिंग प्रावधान:-
1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976।
2. ऑडी अल्टरम पार्टेम – "दूसरे पक्ष को सुनें"
स्पष्टीकरण:- धारा 148ए – कैविएटर के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से पहले, न्यायालय को उसकी याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, जो अनिवार्य है। कैवियट याचिका दायर करने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध है।

15. Ans. [b]
लिंकिंग प्रावधान:-
1. आदेश 1, नियम 9 – कुसंयोजन और असंयोजन।
2. आदेश 1, नियम 13 – असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आपत्तियां।
स्पष्टीकरण:- यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्रमशः आदेश I, नियम 1 और 3 के उल्लंघन में एक वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है और वे न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार, यह पक्षकारों के कुसंयोजन का मामला है।

16. Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 11 स्पष्टीकरण 6 -** पूर्व न्याय का नियम प्रतिनिधि वाद में भी लागु रहेगा।
2. **आदेश 7 नियम 4 -** जहाँ प्रतिनिधिवाद, वादपत्र में कथन किया जायेगा।
3. **आदेश 23 नियम 3ख स्पष्टीकरण -** 'प्रतिनिधि वाद' कौनसे होंगे।
5. **आदेश 23 नियम 3ख -** जहाँ प्रतिनिधि वाद में समझौता, तुष्टि, करार, वहा न्यायलय की अभिव्यक्त इजाजत के बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।
6. **आदेश 23 नियम 1 -** कोई परित्याग, प्रत्याहरण , करार, समझौता या तुष्टि सभी हितबध्द पक्षकारों को सूचना दिये बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।
स्पष्टीकरण - आदेश 1 नियम 8 - एक ही वाद में एक ही हित वहा न्यायलय की अनुज्ञा या निदेश से प्रतिनिधि वाद।

17. Ans. [b]
लिंकिग प्रावधान:-
1. **आदेश 1 नियम 1,2 -** वादी का संयोजन ।
2. **आदेश 1 नियम 3,3क -** प्रतिवादी का संयोजन।
3. **आदेश 1 नियम 9 -** कुसंयोजन या असंयोजन पर मामला विफल नहीं होना।
4. **धारा 99 -** अपील में असंयोजन के आधार पर उलटा नही जाना।
5. **आदेश 1 नियम 13 -** कुसंयोजन या असंयोजन पर आक्षेप।
6. **आदेश 2 नियम 3 -** वाद हेतुक का संयोजन।
स्पष्टीकरण - कुसंयोजन:- एक व्यक्ति जो पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था पर बनाया गया ।
असंयोजन:- एक व्यक्ति जो पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था, पर बनाया गया।
आवश्यक पक्ष:- जिसके बिना वाद आगे नहीं चल सकता था।
उचित पक्ष:-ऐसा पक्ष जो वाद में हो तो भी सही और ना हो तो भी ज्यादा फर्क ना पड़े।
प्रभाव - आदेश 1 नियम 9- यदि कोई आवश्यक पक्ष जिसे पक्षकार बनाना था, नहीं बनाया गया, वाद विफल होगा।

JUDICIARY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Live + Recorded Course
Complete Syllabus Coverage
Mock Test Series | SubjectWise Practice Set | Recorded Lectures | Practice & Revision Sessions | Expert Mentorship (Tansukh Sir) | Bilingual Classes
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR ENROL NOW

ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Validity - 03 Months
Complete Syllabus Coverage
Civil Court Practice | Criminal Court Practice | Cyber Law Practice | Dual Mode Learning | Legal Personality Development | Structured 3 Volumes
is available at Linking App.
Scan this QR ENROL NOW

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

18. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान :- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में समन की तामील निम्न प्रकार से -

1. **आदेश 5 नियम 12 -** व्यक्तिगत तामील ।
2. **आदेश 5 नियम 13-14** - अभिकर्ता पर तामील ।
3. **आदेश 5 नियम 15** - परिवार के वयस्क सदस्य पर तामील ।
4. **आदेश 5 नियम 17 -** चस्पा तामील ।
5. **आदेश 5 नियम 20 -** प्रतिस्थापित तामील ।
6. **आदेश 5 नियम 9क -** दस्ती समन।
7. **आदेश 16 -** साक्षीयों पर तामील ।

स्पष्टीकरण - आदेश 5 नियम 20 - प्रतिस्थापित तामील - जहाँ न्यायलय का समाधान कि व्यक्ति तामील से बच रहा है या अन्य कारण से व्यक्ति पर तामील नहीं की जा सकती, न्यायलय आदेश देगा समन की एक प्रति न्याय सदन के सादृश्य स्थान पर और एक प्रति प्रतिवादी अंतिम बाद निवास, कारोबार करता था पर लगा कर की जाए, यदि ठीक समझे तो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर की जाए।

19. Ans [B]

लिंकिंग प्रावधान:- 1.आदेश 16-**साक्षीयों** को **समन।**

2. सीआरपीसी की धारा 61-69 - समन।

स्पष्टीकरण:-सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 प्रतिवादी को उपस्थित होने और दावे का **उत्तर** देने और 30 दिनों के भीतर लिखित **कथन** दाखिल करने के लिए **समन** से संबंधित है

20. Ans. [C]

लिंकिंग प्रावधान- O.6 L/w O.7, O.8 सीपीसी।

स्पष्टीकरण - अभिवचन के सामान्य नियम से संबंधित है। अभिवचन वाद का प्रारंभिक चरण है जिसमें पार्टियां औपचारिक रूप से अपने दावे और बचाव प्रस्तुत करती हैं। नियम 1 अभिवचन को परिभाषित करता है। यह प्रदान करता है कि प्लीडिंग का अर्थ वाद या लिखित बयान होगा। अभिवचन का पूरा उद्देश्य पार्टियों को निश्चित मुद्दे पर लाना और खर्च और देरी को कम करना और सुनवाई में आश्चर्य को रोकना है।

21. Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान- O.6 R.2 L/w O.6 R.1, 4, O.7,O.8 CPC।

स्पष्टीकरण- O.6 R.2 अभिवचन तात्विक तथ्यों का, न कि साक्ष्य का, कथन होगा। अभिवचन के मूल नियम इस प्रकार हैं-

1. अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि विधि का;
2. बताए गए तथ्य तात्त्विक तथ्य होने चाहिए;
3. अभिवचन में साक्ष्य नहीं होने चाहिए; और
4. तथ्यों को संक्षिप्त रूप में बताया जाना चाहिए।

22. Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. आदेश 33, नियम 5 – आवेदन की नामंजूरी।
2. आदेश 41, नियम 3 – ज्ञापन की नामंजूरी।

स्पष्टीकरण:- आदेश VII नियम 11 में वाद को नामंजूर करने के 6 आधार दिए गए हैं। एक वाद को न्यायालय द्वारा नामंजूर किया जा सकता है यदि इसमें वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद हेतुक का उल्लेख नहीं है। इसे न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न स्थानों पर वाद हेतुक का उल्लेख किया गया है।

23. Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान – आ. 8 नि.1 L/w O.6, O.7 सिविल प्रक्रिया संहिता।

स्पष्टीकरण- आदेश 8 नियम 1 लिखित बयान से संबंधित है। लिखित बयान वादी द्वारा उसके खिलाफ दायर किए गए वाद के जवाब में प्रतिवादी की दलील है।

लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा- नियम 1 के अनुसार, लिखित बयान उस पर सम्मन की तामील से तीस दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। हालाँकि, उक्त अवधि को नब्बे दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

24. Ans. [C]

लिंकिंग प्रावधान- O.9 R.13 L/w R.6, 14 सिविल प्रक्रिया संहिता।

स्पष्टीकरण -O.9R.13 प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने से संबंधित है। जब वाद में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है और वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है और समन की विधिवत तामील की जाती है, तो अदालत उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई कर सकती है और 'एकपक्षीय' डिक्री नामक डिक्री पारित कर सकती है। प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने पर केवल निम्नलिखित दो आधारों पर विचार किया जा सकता है-

1) जहां समन की विधिवत तामील नहीं की गई; या
2) जहां प्रतिवादी को पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से निवारित रहा था जब सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

परन्तुक पहले यह प्रदान करता है कि जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की है कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता है, उसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकता है।

25. Ans. [c]

स्पष्टीकरण - आदेश 9 नियम 13 के अनुसार दो आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने लिए प्रतिवादी उसी न्यायालय में आवेदन करेगा जिसमे डिक्री पारित की गई थी :-

आधार:-

1. समन की तामील सम्यक् रूप से नही की गयी थी।
2. सुनवाई पर उपस्थित होने से पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा। (sufficient cause)

अन्य उपचार:-

1. अपील- धारा 96(2) 2. पुनर्विलोकन

नोट:- एकपक्षीय आदेश का उपचार - आदेश 9 नियम 7 में अपास्त के लिए आवेदन किया जायेगा।

आधार - अनुपसंजाति का अच्छा आधार दे दे।

(एकपक्षीय आदेश को अपास्त के लिए एक ही आधार है जबकि डिक्री को अपास्त के लिए 2 आधार है।) एकपक्षीय डिक्री, आदेश 9 नियम 6(a) में जब समन सम्यक रूप से तमिल होने पर भी उपस्थित नहीं हो।

26. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **आदेश 18 -** परीक्षा।
2. **धारा 137/138 -** मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा (साक्ष्य अधिनियम, 1872) ।

स्पष्टीकरण - आदेश 10 नियम 2 - मौखिक परीक्षा - न्यायलय प्रथम सुनवाई पर उपस्थित पक्षकारों की परीक्षा करेगा तथा पक्षकारों के साथ उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा कर सकेगा।

परीक्षा का उद्धेश्य - पक्षकारों के मध्य वाद के निपटारों के लिए।

27. Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. भा.सा. अ. की धारा 61-90A – दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।
2. सीआरपीसी की धारा 91 – दस्तावेज पेश करने के लिए समन।
3. आदेश 7, नियम 14 – दस्तावेज प्रस्तुत करना।
4. आदेश 8, नियम 1ए – दस्तावेज़ पेश करने का प्रतिवादी का कर्तव्य।

स्पष्टीकरण:- सीपीसी के आदेश 13, नियम 1- पक्षकार या उनके प्लीडर, विवाद्यको के निपटारे पर या उससे पहले, सभी दस्तावेजी साक्ष्य मूल रूप से पेश

28. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान -

1. **आदेश 5 नियम 7-** प्रतिवादी को दस्तावेज पेश करने के लिए समन करना।
2. **आदेश 7 नियम 14** - वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश करना।
3. **आदेश 8 नियम 1क -** प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन के साथ दस्तावेज पेश करना।

स्पष्टीकरण - आदेश 13 - दस्तावेजों को पेश करना, परिबद्ध करना व लौटाने के संबंध में उपबंद्ध।

AIBE PAPERATHON©
Paperathon Booklet
Topic-wise PYQ Analysis, Linked Provisions, Explanations & QR Video Solutions.
Covers all AIBE Exams [3rd(2012)-21st (2026)
English Edition
Hindi Edition
Scan this QR
E-Study Materiel
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com
Link Provision
[3rd (2012) - 21st (2026)]
Linking Explanation
Subject Wise Analysis
Weightage Analysis Table
Section- Switching Table
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

29. **Ans. [b]**
स्पष्टीकरण- आदेश XIV नियम 5 में दो प्रकृति दी है जिसमे विवाद्यक को संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक बना सकते है।
डिक्री बनाने से पहले कभी भी:-
1. ऐसे निबंधनो पर जो न्यायालय को ठीक लगे- संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक बना सकेगा।
2. विवादित मुद्दों के विनिश्चय के लिए आवश्यक - संशोधन करेंगे या अतिरिक्त विवाद्यक बनाएंगे।
काटना- जो विवाद्यक गलत बनाये गए उन्हें ।

30. **Ans. [d]**
लिंकिंग प्रावधान- आदेश 14 नियम 1 सीपीसी।
स्पष्टीकरण- आदेश 14 नियम 1(5) में प्रावधान है कि वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय वादों को पढ़ने के बाद, यदि कोई हो, तथा आदेश 10 नियम 2 के अधीन परीक्षण के पश्चात् पक्षकारों या उनके प्लीडरों को सुनने के बाद, यह पता लगाएगा कि पक्षकारों के तथ्य या विधि के कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव भिन्न हैं, और फिर विवाद्यको की विरचना करने और अभिलिखित करने के लिए आगे बढ़ें।

31. **Ans. [c]**
लिंकिंग प्रावधान :- L/W आदेश XVII नियम 1(2) प्रोविज़ो (बी)-(डी), आदेश XVIII नियम 2(3सी) सीपीसी, धारा 309 सी आर पी.सी.

32. **Ans [b]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 2(9) – निर्णय
2. आदेश 40, नियम 30 – अपील में निर्णय।
स्पष्टीकरण:- आदेश 20, नियम 1- बशर्ते कि जहाँ निर्णय एक बार में नहीं सुनाया जाता है, न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई समाप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्णय सुनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

33. **Ans [d]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 2(9) –** निर्णय
2. **आदेश 40, नियम 30** – अपील में निर्णय।
स्पष्टीकरण:- आदेश 20, नियम 1- न्यायालय, मामले की सुनवाई के बाद, खुले न्यायालय में या तो एक बार में या उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो, किसी भविष्य के दिन (30/60 दिनों के भीतर) निर्णय सुनाएगा।

34. **ans. [A]**
स्पष्टीकरण- आदेश 21 नियम 18 क्रॉस-डिक्री के मामलों में निष्पादन के संबंध में नियम प्रदान करता है। क्रॉस-डिक्री वादी और प्रतिवादी द्वारा अलग-अलग मुकदमों में एक दूसरे के खिलाफ आयोजित डिक्री हैं ताकि एक डिक्री-धारक दूसरे में निर्णय-ऋणी हो। क्रॉस डिक्री के आवेदन को न्यायालय द्वारा एक ही समय में निष्पादित किया जा सकता है। वह समय जब अलग-अलग स्थितियों में एक ही पक्ष के बीच पारित दो राशियों के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में न्यायालय में आवेदन किया जाता है।
दिए गए मामले के तथ्य नियम 18 के उदाहरण एफ के समान हैं।
Illus.f-A, B, C, D और E संयुक्त रूप से और अलग-अलग रुपये के लिए देय हैं। एफ द्वारा प्राप्त एक डिक्री के तहत 1,000 रुपये के लिए एक डिक्री प्राप्त करता है। अकेले एफ के खिलाफ 1,000 और उस न्यायालय में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त डिक्री निष्पादित की जा रही है। एफ इस नियम के तहत अपने संयुक्त डिक्री को क्रॉस डिक्री के रूप में मान सकता है।

35. **Ans. [b]**
लिंकिंग प्रावधान :-L/W धारा **2(9)** सीपीसी।
स्पष्टीकरण: 2015 में, हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य में न्यायालय ने कहा, "एक निर्णय को प्रति अकर्मण्य कहा जा सकता है जब रिकॉर्ड की अदालत ने अपने स्वयं के किसी भी पिछले निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया हो, या किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करते हुए कार्य किया है।
व्यक्तिlलक्षी में एक निर्णय केवल शामिल पार्टियों को बांधता है, और इसकी प्रकृति से ही निष्पादन के लिए दिया जाता है, अर्थात प्रवर्तन।
सब साइलेंटियो की अवधारणा का सीधा सा अर्थ है जब किसी निर्णय में कानून के किसी विशेष बिंदु पर एक नियम या सिद्धांत पारित किया जाता है और लागू कानून या किसी तर्क पर विचार किए बिना मौन में अदालत द्वारा लागू किया जाता है।
लोकलक्षी निर्णय- जब किसी विषय विशेष पर निर्णय दिया जाता है, तो वह न केवल दो पक्षों के बीच रहेगा बल्कि पूरे विश्व पर लागू होगा।

36. **Ans. [d]**
लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 132 न्यायालय मे उपस्थिति से छूट ।
2. धारा 55 मे गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति जाता है और किसी कमरे मे ऐसी महिला जो रूढ़ि के अनुसार सामने नही आती तो उसे हट जाने का अवसर देंगे।
3. धारा 60 (a) स्त्री के निजी आभूषण जो प्रथा के अनुसार अलग नहीं करती कुर्क नही किये जायेंगे।

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll

धन संबंधी प्रावधान:-

1. धारा 56
2. आदेश 8 नियम 6
3. आदेश 21 नियम 1 धन के संदाय कि रीतियाँ।
4. धारा 34 जहा डिक्री धन के सन्दाय के लिए वहा ब्याज ।
5. धारा 73 एक से अधिक धन के संदय की डिक्री मे अभिदाय।

स्पष्टीकरण- धारा 56 महिलाओ को धन की डिक्री में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है।

37. Ans. [C]

लिंकिंग प्रावधान-O. 22 सिविल प्रक्रिया संहिता।

स्पष्टीकरण- O.22 (R.1-12) मृत्यु, विवाह और दिवाला पार्टियों से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि आम तौर पर, किसी पक्ष की मृत्यु, विवाह या दिवाला, अदालत में लंबित मुकदमे, समाप्त नहीं होगा, अगर मुकदमा करने का अधिकार बचता है। मुकदमा या अपील का प्रतिनिधित्व वारिस और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है।

38. Ans. [a]

स्पष्टीकरण- आदेश **22** नियम **10A-** जिस पक्षकार की मृत्यु हो गयी है उसके प्लीडर का कर्तव्य है न्यायालय को और दूसरे पक्षकार को सूचना दे ।

प्लीडर की नियुक्ति **-** आदेश **3** नियम **4** के अनुसार की जाती है जो उन दोनों के मध्य एक संविदा होती है। नियुक्ति लिखित दस्तावेज **(**वकालतनामा**)** द्वारा जो पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

नियुक्ति कब तक मानी जायेगी-

1. यदि सीमित समय के लिए है तो समय पूरा होने पर।
2. न्यायालय में समाप्ति के लिए दोनों पक्ष आवेदन करे ।
3. वाद का अंत।
4. दोनों मे से किसी की मृत्यु **(**परंतु आदेश **22** नियम **10A** में पक्षकार की मृत्यु तो प्लीडर सूचना देने के बाद ही निर्मुक्त होगा**)**।

39. Ans. [c]

स्पष्टीकरण- **आदेश 43 नियम 1A :-** जहां इस संहिता के अधीन कोई आदेश किसी पक्षकार के विरुद्ध किया जाता है और तदुपरान्त निर्णय ऐसे पक्षकार के विरुद्ध सुनाया जाता है और डिक्री तैयार की जाती है वहा ऐसा पक्षकार डिक्री के विरुद्ध अपील मे यह प्रतिवाद कर सकेगा कि ऐसा आदेश नही किया जाना चाहिए था और निर्णय नही सुनाया जाना चाहिए था ।

40. Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 89 – न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा।

स्पष्टीकरण:- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 के नियम 3 में कहा गया है कि जहां भी किसी वाद के पक्ष सहमत होते हैं और समझौता करते हैं, तो न्यायालय को ऐसे समझौते को दर्ज करना चाहिए और उसी के लिए एक डिक्री भी पारित करनी चाहिए।

AIBE 22
Guidance Program
(Live + Recorded)
This is a smart, Bare Acts–based program designed with a single-minded goal
Crack the AIBE (All India Bar Examination)
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Enrol Now or visit
linkinglaws.classx.co.in

Scan this QR
Course Brochure
Live Classes
Study Material Access
Recorded Classes
Full Mock Test
6 Months Validity
Practice Test Series
www.LinkingLaws.com

JGP (Judiciary Guidance Program) - Click Now to Enroll
AIBE Study Materials – Click here to Buy now
AGP (Advocacy Guidance Program)- Click Now to Enroll
AIBE 22 Guidance Program- Click Now to Enroll